राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः एफ.2(457)स्था/पमु/2020/10095 दिनांक : 22.09.2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम–32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति 2012–13 की अभिशंषा पर पूर्व में पदोन्नति से आस्थगित (defer) प्रकरणों में चयनित निम्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक के पद पर वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :–

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वरिष्ठता सूची में नाम का विवरण	डी.पी.सी. वर्ष
1	श्री धर्मसिंह मीणा	दिनांक 01.04.2013 में कनिष्ठ सहायक की स्थाई वरिष्ठता सूची में श्री कृष्ण लाल गोदारा के नीचे एवं श्री दयाराम बैरवा के ऊपर।	2012–13

माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर में दर्ज फौजदारी प्रकरण संख्या 47/2014 (62/08)राजस्थान सरकार जरिये सहायक निदेशक अभियोजन, ए.सी.बी. बनाम धर्मसिंह मीणा एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.10.2018 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी सपठित धारा 7, 13 (1)(डी)सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत प्रकरण में कार्मिक श्री धर्मसिंह मीणा को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2)विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(1) कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 12.8 के अनुसार फौजदारी प्रकरण में राजसेवक को संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किये जाने पर पदोन्नति से वंचित रही कालावधि के वेतन अन्तर का भुगतान नहीं किया जायेगा। अतः वर्ष 2012–13 में दिनांक 01.04.2012 से कनिष्ठ सहायक के पद पर दी गई पदोन्नति फलस्वरूप वेतन निर्धारण किया जाकर पदोन्नति से वंचित कालावधि का वेतन अन्तर का भुगतान देय नहीं होगा।

पदोन्नति उपरान्त देय वित्तीय लाभ कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की दिनांक से देय होंगे। अतः कार्मिक पदोन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापन पद पर ही कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट तत्काल मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

22/9/20

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक

क्रमांकः एफ.2(457)स्था/पमु/2020/10096–10102 दिनांक : 22.09.2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक कोटा/भरतपुर।
2. उप पंजीयक हिण्डौन/झालावाड।
3. श्री धर्मसिंह मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उप पंजीयक झालावाड।
4. निजी पत्रावली संबंधित कार्मिक।
5. गार्ड फाईल।

(अनिता चौधरी)
उप महानिरीक्षक(कर)